अधिसूचना   नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 12/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि.   (अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(अ) आरंभिक पैरा में पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(आ) सारणी में,--

(i) क्रम सं. 35 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "19%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं. 68 में, स्तंभ (3) में, "हैवी एल्काइलेट" शब्द, जहां-जहां वे आते हैं, के पश्चात् "या एन-पैराफिन (लिनियर एल्किल बेंजिंन या हैवी एल्काइलेट के निर्माण के क्रम में निर्मित)" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) क्रम सं. 77 के सामने, स्तंभ (3) में, "वायुयान ट्रबाइन ईंधन" शब्दों के पश्चात् "(अनुसूचित प्रादेशिक संपर्कता स्कीम (अ.प्रा.सं.स्की.) विमानपत्तनों से यात्री एयरलाइन (या.ए.) को आपूर्ति के लिए)" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) क्रम सं. 109 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"109क	28, 29 या 38	सूक्ष्म पोषक, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के क्रम सं. 1(च) की अनुसूची 1 भाग (क) के अधीन आते हैं और जिनका विनिर्माण उन विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के	6%	-";

		अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।		

(v) क्रम सं0 128 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"128क	31	रासायनिक उर्वरकों में से उर्वरकों का भौतिक मिश्रण, जिस पर सहकारी सोसाइटियों द्वारा समुचित उत्पाद-शुल्क संदत्त किया गया है, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अधीन उर्वरकों के मिश्रण के विनिर्माण के लिए ऐसी सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों को आपूर्ति के लिए प्रमाणपत्र धारित करती हैं । स्पष्टीकरण--इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, 'उपयुक्त शुल्क' पर से शून्य शुल्क या रियायती शुल्क अभिप्रेत है, चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के साथ पठित हो या नहीं ।	कुछ नहीं	-";

(vi) क्रम सं0 144 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"144	38	कार्य के लिए संनिर्माण स्थल पर विनिर्मित कंक्रीट मिश्रण या तैयार मिश्रित कंक्रीट (तै.मि.कं.), जिसका ऐसे स्थल पर उपयोग किया जाएगा । **स्पष्टीकरण--** इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए 'स्थल' पद से संविदा या करार में ऐसे संनिर्माण कार्य के लिए विनिर्दिष्ट वर्णन के माध्यम से मालों के विनिर्माण के लिए उपलब्ध परिसर अभिप्रेत है, परंतु ऐसे परिसर में विनिर्मित मालों का उपयोग केवल	कुछ नहीं	-";

		उक्त संनिर्माण कार्य में ही किया जाएगा ।		

(vii) क्रम सं0 148क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"148कक	3923 21 00 या 3923 29	सभी माल	15%	-";

(viii) क्रम सं. 148ख, 148ग और 148घ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ix) क्रम सं0 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"152क	4008 29 10	तलों और ऐडियों के लिए रबड़ की चादरें और रेजिन रबड़ की चादरें	6%	-"

(x) क्रम सं0 172क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xi) क्रम सं0 189 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"189	71	तोला छड़ों से भिन्न स्वर्ण छड़ें, जिन पर विनिर्माता का क्रम सं. उत्कीर्ण है और उसके भार को निम्नलिखित प्रक्रम से आरंभ करते हुए कारखाने में विनिर्मित मीट्रिक इकाई में अभिव्यक्त किया गया है,--		
		(i) (क) स्वर्ण अयस्क या सांद्र ; (ख) स्वर्ण डोरे छड़ ; या	9.5%	-
		(ii) रजत डोरे छड़	9.5%	-";
		स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, 'स्वर्ण डोरे छड़'		

		से ऐसी डोरे छड़ें अभिप्रेत होंगी, जिनमें स्वर्ण अंर्तवस्तु 95% से अधिक नहीं है और 'रजत डोरे छड़' से ऐसी डोरे छड़ें अभिप्रेत होंगी, जिनमें रजत अंर्तवस्तु 95% से अधिक नहीं है और उनके साथ खनन कंपनी द्वारा जारी एक कसौटी प्रमाणपत्र लगा होगा, जिसमें उनकी संरचना के ब्यौरे दिए गए हों		

(xii) क्रम सं0 190 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "8.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) क्रम सं0 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"191	71	उसी कारखाने में ताम्र, अयस्क या सांद्र के प्रक्रम से आरंभ करते हुए ताम्र प्रगलन की प्रक्रिया के दौरान विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल, अर्थात् :-- (i) तोला छड़ों से भिन्न स्वर्ण छड़ें, जिन पर विनिर्माता या परिष्करणकर्ता का क्रम सं. उत्कीर्ण है और उसके भार को मीट्रिक इकाई में अभिव्यक्त किया गया है और स्वर्ण सिक्के की शुद्धता 99.5% से कम नहीं है (ii) किसी भी रूप में रजत, 99.9% से कम की शुद्धता वाले रजत सिक्कों के सिवाय	 9.5% 8.5%	 - -";

(xiv) क्रम सं0 191क में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "8.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) क्रम सं0 199 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"199	7113	(I) आभूषण की वस्तुएं (II) रजत आभूषण की वस्तुएं, हीरक, रुबी, पन्ना या नीलम जड़ित आभूषणों से भिन्न	1% कुछ नहीं	16-";

(xvi) क्रम सं0 235 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"235क	8413 91 या 8501 31 19	टैरिफ मद 8413 70 10 के अधीन आने वाले अन्य अपकेंद्रिय पंपों के विनिर्माण के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :-- (i) शाफ्ट (ii) स्लीव (iii) चैम्बर (iv) इम्पेलर (v) वासर (vi) विद्युत मोटर	6%	2";

(xvii) क्रम सं0 262 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

262क	8507 60 00	मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, की बैटरियों से भिन्न लिथियम-आयन बैटरियां	4%	16
262ख	85 या कोई अध्याय	(क) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, से भिन्न लिथियम-	कुछ नहीं	2

		आयन बैटरियों के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और उपसाधन (ख) ऊपर (क) वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे		

(xviii) क्रम सं0 263क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"263ख	8504	मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, के विनिर्माण के लिए चार्जर या एडेप्टर	2%	2 और 16
263ग	85 या कोई अन्य अध्याय	क) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, के चार्जर या एडेप्टर के विनिर्माण के लिए इनपुट या पुर्जे ख) ऊपर (क) में वर्णित हिस्से पूर्जों के विनिर्माण के लिए इनपुट या उप पुर्जे	कुछ नहीं	2
263घ	8506, 8507	मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, एडेप्टर के विनिर्माण के लिए बैटरी	2%	2 और 16
263ङ	85 या कोई अन्य अध्याय	(क) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, की बैटरी के विनिर्माण के लिए इनपुट या पुर्जे (ख) ऊपर (क) में वर्णित हिस्से पूर्जों के विनिर्माण के लिए इनपुट या उप पुर्जे	कुछ नहीं	2
263च	8518 30 00	मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, के विनिर्माण के लिए तार वाले हैडसेट	2%	2 और 16
263छ	85 या कोई अन्य अध्याय	(क) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, की तार वाले हैडसेट विनिर्माण के लिए इनपुट या पुर्जे (ख) ऊपर (क) में वर्णित हिस्से पूर्जों के विनिर्माण के लिए इनपुट या उप पुर्जे	कुछ नहीं	2

263ज	8518	मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, के विनिर्माण के लिए स्पीकर	2%	2 और 16
263झ	85 या कोई अन्य अध्याय	(क) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन हैं, के स्पीकर विनिर्माण के लिए इनपुट या पुर्जे (ख) ऊपर (क) में वर्णित हिस्से पूर्जों के विनिर्माण के लिए इनपुट या उप पुर्जे	कुछ नहीं	2
263ञ	8517 62 30	ब्राडबैंड माडम	4%	16
263ट	85 या कोई अन्य अध्याय	(क) ब्राडबैंड माडम के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और उप साधन (ख) ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं	2
263ठ	8517 69 30	राउटर	4%	16
263ड	85 या कोई अन्य अध्याय	(क) राउटर के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और उप साधन (ख) ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं	2
263ढ	8517 69 60	इंटरनेट का लाभ लेने के लिए सेटटाप बाक्स	4%	16
263ण	85 या कोई अन्य अध्याय	(क) इंटरनेट का लाभ लेने के लिए सेटटाप बाक्स के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और उप साधन (ख) ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं	2
263त	8521 90 90	डिजीटल वीडियो अभिलेर्ख्य (डीवीआर)/नेटवर्क वीडियो अभिलेर्ख्य (एनवीआर)	4%	16
263थ	85 या कोई अन्य अध्याय	(क) डिजीटल वीडियो अभिलेर्ख्य (डीवीआर)/नेटवर्क वीडियो अभिलेर्ख्य (एनवीआर) के विनिर्माण के लिए	कुछ नहीं	2

		पुर्जे, संघटक और उप साधन (ख) ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे		
263द	8521 80 20	सीसीटीवी कैमरा या आईपी कैमरा	4%	16
263ध	85 या कोई अन्य अध्याय	(क) सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और उप साधन (ख) ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं	2
263न	8521 71 00	टेलीविजन के ग्राहय उपस्कर किंतु जो वीडियो प्रदर्शन को सम्मिलित किए जाने के लिए अभिकल्पित नहीं है	4%	16
263प	85 या कोई अन्य अध्याय	(क) सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा के विनिर्माण के लिए पुर्जे, संघटक और उप साधन (ख) ऊपर (क) में वर्णित मदों के विनिर्माण के लिए उप पुर्जे	कुछ नहीं	2

(xix) क्रम सं0 272, स्तंभ (3) में,--

(क) मद सं. (क) में, “पुर्जे, संघटक और उप साधन” शब्दों के पश्चात् “जिसमें चार्जर/एडपेटर/बैटरी/तार वाले हैडसेट, स्पीकर” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद सं. (ख) में, “बैटरी चार्जर और” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(xx) क्रम सं0 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“272क	8607	सभी माल	6%	-
272ख	8608	सभी माल	6%	-
272ग	8609 00 00	प्रशितित आधान	6%	-”;

(xxi) क्रम सं. 297 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (v) में की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "(v) xEV (संकर वैद्युत यान) के लिए इंजन" रखी जाएगी ;

(xxii) क्रम सं. 305 के सामने,--

(क) स्तंभ (3) में, "पुर्जे और परीक्षण उपस्कर" शब्दों के स्थान पर "पुर्जे, जांच उपस्कर, औजार और औजार किट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्तंभ (5) में, संख्या "3" के स्थान पर संख्या "2" रखी जाएगी ;

(xxiii) क्रम सं. 305 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"305क	89 या कोई अध्याय	किसी पोत मरम्मत इकाई द्वारा सागरगामी पोतों की मरम्मत के लिए पूंजी माल और उनके अतिरिक्त पुर्जे, कच्ची सामग्रियां पुर्जे सामग्री हथालन उपस्कर और उपभोज्य । **स्पष्टीकरण -** "सागरगामी पोत" में निम्नलिखित शामिल है— (क) लाइनर ; विभिन्न किस्मों के स्थोरा-पोत जिसके अंतर्गत मांस, फल या वैसे ही के परिवहन के लिए प्रशितित पोत शामिल है, विशिष्ट मालों के परिवहन के विनिर्दिष्ट पोत (अनाज, कोयला, अयस्क या वैसे ही) ; टैंकर (पेट्रोल, मदिरा, या वैसे ही) ; याट और अन्य पाल पोत ; केबल पोत ; हिम- प्रभंजक ; सभी किस्म की पल्वमान कारखाने (ह्वेलों के प्रसंस्करण, मत्स्य का परिरक्षण या वैसा ही) ; ह्वेल पकड़ने वाले ट्रालर और अन्य मछली पकड़ने वाले पोत ; जीवन रक्षक नौकाएं ; वैज्ञानिक अनुसंधान पोत ; मौसम पोत ; बोयज के परिवहन या मूरिंग के लिए पोत ; पायलट नौका ; निकर्षण सामग्री या वैस ही के निपटान के	कुछ नहीं	2

		लिए होपरबार्ज ; (ख) पन्डुबियों सहित सभी किस्म के युद्ध पोत ; और (ग) टग्स, निष्कर्षक, अग्नि-प्लवमान और कबाड़ पोत ; और (घ) तेल रिग्स, भेदन पोत और जैक-अप रिस ।		

(xxiv) क्रम सं0 315 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“315क	90 या 84	प्रयोज्य निर्जीवाणुकृत डायलाइजर या किसी कृत्रिम बृक्क के सुक्ष्म बैरियर	कुछ नहीं	-”;

(xxv) क्रम सं0 327 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“327क	38, 39 और 68	पवन चालित विद्युत जनित्रों के लिए रोटर ब्लेड और मध्यवर्तियों के विनिर्माण के लिए सूची 9क में विनिर्दिष्ट माल, रोटर ब्लेडों के पुर्जे और उप पुर्जे	6%	36”;

(आ) सूची 8 में,

i. मद (18) में “सौर लालटेन” शब्दों के स्थान पर “सौर लालटेन या सौर लैम्प” शब्द रखे जाएंगे ;

ii. मद (21) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(22) लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, गाय का गोबर, ब्रिक्विट और कोयला जलाने के लिए समुन्नत, खाना बनाने का चूल्हा (जिसके अंतर्गत धूम्र रहित चूल्हा है” ;

(इ) सूची 9 में, मद 5, मद 7, मद 8, मद 9 और मद 17 का लोप किया जाएगा ;

(ई) सूची 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

सूची 9क

(क्रम सं. 327क देखें)

1. टैरिफ मद 3907 30 10 के अधीन आने वाला एपोक्सी रेजिन
2. टैरिफ मद 3905 99 90 के अधीन आने वाला विनाइल इस्टर एडहेसिव
3. टैरिफ मद 3824 90 90 के अधीन आने वाला एडहेसिव रेजिन के लिए हार्डनर
4. टैरिफ मद 3824 90 90 के अधीन आने वाला हार्डनर
5. टैरिफ मद 3907 91 90 के अधीन आने वाले दोनों पालिस्टर आधारित इंफ्युजन रेजिन और हैंड ले अप रेजिन
6. टैरिफ मद 6815 10 90 के अधीन आने वाला कार्बन पलट्रूजन

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(क. कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 12/2012-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 4/2015-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जनवरी, 2013 द्वारा जो सा.का.नि. 131(अ), तारीख 30 जनवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।